


आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई एवं तिथि 3
09/02/2022	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार के नाम से नोटिस तामिला किया गया। देनदार अनादी तांती, पिता- स्व० उम्बरा तांती ग्राम- आमडा थाना- कुमारडुंगी,, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड का केस सं० 111(Adv)/70-71 रूपये मुलधन-892.40 ब्याज-1500.24 लगत-9.00 कुल-2402.64 राशि की वसूली कर ली गयी है। अतः अभिलेख की आगे की कार्रवाई बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: center;"> नीलाम पत्र पदाधिकारी, कुमारडुंगी।</p>	